न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस. 3

भरण पोषण अपील संख्या : 01 / 2020

अपीलार्थीगण	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– लियाकत अली पुत्र अहमद अली 2– श्रीमती अस्मतुनिशा पत्नी लियाकत अली निवासी बैतुल जमीला, 8 हाजी स्ट्रीट एरिया, चीरघर के पीछे, मस्जिद खेफ के पास, जोधपुर।		1–दौलत अली पुत्र लियाकत अली 2–सदाकतअली पुत्र लियाकत अली 3–श्रीमती समरीन पत्नी दौलतअली 4–श्रीमती शबनम पत्नी सदाकतअली 5–श्रीमती मुर्शिदा उर्फ शगुफ्ता पत्नी बकरत अली निवासीगण बैतुल जमीला, 8 हाजी स्ट्रीट ऐरिया, चीरघर के पीछे, मस्जिद खेफ के पास, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.03.2020 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा प्रकरण सं0 53 / 2018 बअनवान लियाकत अली वगैरा बनाम दौलत अली वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।
2– प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Sing
Date: 2021.01.29 14:36:13 IS
Reason: SelfAttested

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड

लगातार...

अधिकारी जोधपुर) के समक्ष अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5 के तहत पेश करते हुए अपीलार्थी को 15000/–रूपये प्रति माह भरण–पोषण के रूप में प्रत्यर्थी से दिलवाये जाने व प्रार्थीगण को रहवास से बेदखल नहीं करने, मारपीट व गाली गलौच नहीं करने की प्रार्थना की गई। अधिनस्थ अधिकरण ने प्रार्थी/अपीलार्थी को बेदखल नहीं करने, प्रार्थीगण के साथ सद्व्यवहार बनाये रखने व मारपीट नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को पाबद करने का आदेश दिनांक 18.03.2020 को दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से लिखित जबाब एवं अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीपक्ष ने अपनी बहस में कहा कि अपीलार्थी सं0–1 की पूर्व पत्नी का देहान्त दिनांक 21.12.2012 को होने के बाद प्रार्थी–1 के सुख सुविधा, देखभाल व सहयोग हेतु अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किये जाने पर अप्रार्थी–2 से दिनांक 28.06.2013 को निकाह किया गया। प्रार्थी–1 से उपरोक्त पते की जायदाद में निर्माण कार्य करवाया तथा अपनी हैसियत अनुसार सभी पुत्रों का पढाया व उनकी शादी की गई तथा घर में ही पृथक पृथक रहने हेतु निर्मित जगह में रहने हेतु अनुमति दे दी गई। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थी का एक पुत्र बरकत अली जो अप्रार्थी–5 का पति है, काफी समय से न्यायिक हिरासत में होने से अप्रार्थी–5 का विशेष ख्याल रखते रहे इसके बावजूद अप्रार्थी–5 एवं अन्य अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को गाली गलौच करते रहते है व मारपीट करने लग गये।

बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बहस सुनी मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2020 में प्रार्थीगण को आंशिक राहत देते हु भी प्रार्थीगण के हकों के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी/प्रार्थीगण को ... चिकित्सा हेतु किसी प्रकार की राशि दिये जाने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि प्रार्थीगण अपने मूल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अनुतोष एवं अपील में उल्लेखित अनुतोष क्रमशः अ. ब. स.द. य.ल. में उल्लेखित सम्पूर्ण राहते प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलार्थीगण अपने स्वामित्व की सम्पति से अप्रार्थीगण को बच्चे सहित बेदखल करवाने के पूर्ण अधिकारी होते हुए भी अधीनस्थ अधिकरण ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थीगण को

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2021.01.29 14:56:13 IS
Reason: SelfAttested

हमेशा अन्देशा बना रहता है कि अप्रार्थीगण कभी भी हत्या जैसा गंभीर अपराध भी कर सकते है। बहस के अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपील में प्रस्तुत अनुतोष एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मांगे गये अनुतोष माफिक राहत देने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जबाब में बतलाया कि अपीलार्थी सं0 1 ने अपीलार्थी सं0–2 से विवाह कर लिया है तथा अप्रार्थी–2 द्वितीय पत्नी है। अपीलार्थी–एक के द्वितीय विवाह से पूर्व अपीलार्थी–1 सभी प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के साथ एक ही घर में राजीखुशी साथ में निवास करते थे। अपीलार्थी–1 ने अपने पुनः विवाह के पश्चात् अपीलार्थी सं0 1 ने अपनी पुश्तैनी सम्पति से प्राप्त राशि से अपने मकान के पीछे की ओर दो छोटे मकानों का निर्माण कार्य करवाया जिन मकानों में 2–2 कमरे व रसोई, लेटरीन बाथरूम है जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 आज दिन तक अपने परिवार सहित निवास कर रहे है एवं अप्रार्थी–5 प्रार्थीगण के मकान में उपर की मंजिल में बने एक कमरे में अपने तीन छोटे बच्चों के साथ निवास कर रही है। जबाब में आगे कहा कि अपीलार्थी–2 जो पूर्व में विवाहित थी एवं उनके पति की मृत्यु हो गई थी एवं पूर्व पति के सहवास से उसके चार बच्चे है जो सभी बालिग है व अपीलार्थी–2 येन–केन प्रकार से अपने उन बच्चों को इस घर में लाना चाहती है जिसके लिए प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण विरोध कर रहे है, इसी विरोध के चलते अपीलार्थी–2 नाराज हो गये और इसी कड़ी में उसने अपीलार्थी–1 को प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध भड़काया जिससे आ दिन तक अपीलार्थी/प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करते रहते है।

जबाब में यह भी कहा कि अपीलार्थीगण की आर्थिक स्थिति में प्रत्यर्थीगण से कई गुना अधिक बेहतर है। अपीलार्थीगण जिस मकान में निवास करते है वह जायदाद 30 X 50 वर्गफीट है जबकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 जिस सम्पति में निवास [illegible] है वह केवल 30 X 30 वर्गफीट की है, [illegible] बदनियतिपूर्वक अपीलाधीन/प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण को उनके निवास स्थान से बेदखल करने पर उतारू है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 4 के घर में अन्दर–बाहर आने जाने हेतु अलग अलग रास्ते आये हुए है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण को परेशान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रत्यर्थी–5 जो अपीलार्थीगण के मकान के उपर की मंजिल पर बने एक कमरे में बच्चो सहित निवास करती है तथा उनका पति पिछले काफी वर्षो से न्यायिक अभिरक्षा में है,

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh
Date: 2021.01.29 14:56:13 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण आये दिन प्रत्यर्थी–5 के साथ मारपीट करते है एवं उसे भला बुरा कहते है जिससे परेशान होकर उसने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करवाई थी। अपीलार्थी सं0–2 ने अपने दुषित उद्येश्यों की पूर्ति के लिये प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–5 का एक औद्योगिक भूखण्ड अपीलार्थी सं0–1 के जरिये अपने खुद के नाम हस्तानान्तरण करवा लिया। अपीलार्थीगण की आर्थिक स्थिति भी प्रत्यर्थीगण से अच्छी है तथा अपीलार्थी–एक की माहवारी आमदनी 75000/– है तथा खाना बनाने व कपड़े धोने के लिए नौकर रखे हुए है। अपीलार्थी के पास मोटर साईकिल, मिनी ट्रक भी है। जबाब में यह भी कहा कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 पढे लिखे नहीं होने के कारण अन्य ठेकेदार के पास नौकरी करते है वहां से बमुश्किल 10000 से 15000/–रूपये की आमदनी होती है तथा बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण करते है। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया। संबंधित अधिनियम एवं राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थीपक्ष द्वारा धारा 5 के तहत दिनांक 20.09.2018 को आवेदन किया कि प्रार्थीपक्ष को उसके स्वामित्व की जायदाद से बेदखल नहीं करने, अप्रार्थीगण को बेदखल करने, अप्रार्थी सं0 1 व 2 से प्रतिमाह भरण पोषण एवं चिकित्सा हेतु 15000/– रूपये प्रार्थीगण को दिलाने, प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करने इत्यादि का अनुतोष प्रदान करने का पेश किया, जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 06.02.2019 को जवाब [illegible] होने पर बहस के लिए पत्रावली दिनांक 06.03.2019 मुकर्रर [illegible] गई, तत्पश्चात् दिनांक 20.01.2020 तक कोई कार्यवाही [illegible] 18.03.20 को अपीलाधीन आदेश पारित कर [illegible]: ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण 90 दिवस में करना पड़ता है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दो वर्ष पश्चात् निर्णित किया गया उसमें भी विधिक पालना नहीं की गई। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम 2010 के नियम 10 के तहत सुलह अधिकारी की नियुक्ति करने एवं उससे प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार नियम 12 या 13 की आवश्यक पालना करनी चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं हुई है अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधि

लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.01.29 14:56:13 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:56:13 IST
Reason: SelfAttested

सम्मतः सुनवाई नहीं की गई जो [illegible] भूल है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित करते हुए अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 में दिये गये प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण का दो माह में निस्तारण करे। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

38